

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकर कल्याण मंडल

पी-3, सी, 244-245 सेक्टर 27 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनिया, रायपुर

अधिसूचना

दिनांक... 18/05/17

क्रमांक..... 52 ..... "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना "भगिनी प्रसूति सहायता योजना" में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है :-

भगिनी प्रसूति सहायता योजना :-

(अ) योजना का प्रावधान :-

- (iii) योजना के तहत रूपये 10,000 एक मुश्त को अतिक्रमित करते हुए "महिला श्रमिक को तीन किशतों में कमशः गर्भधारण के प्रथम तिमाही में राशि रूपये 3,000/-, द्वितीय तिमाही में राशि रूपये 3,000/- एवं बच्चे के जन्म पश्चात् राशि रूपये 4,000/- प्रदाय किया जावेगा" अन्तः स्थापित किया जाता है।

उपरोक्त अधिसूचना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशी होगी।  
(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण  
कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर


नया रायपुर, दिनांक 18/05/17

पृ0क0 / / 808 - 816

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)

3. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ भासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर
5. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी ..... (छ0ग0)
6. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ..... (छ0ग0)
7. एनआईसी शाखा, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की ओर वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
8. लेखा शाखा, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर
9. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
सचिव  
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण  
कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर